UPCH010021162024

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट

दाण्डिक निगरानी संख्या–50 / 2024

1. अनूप कुमार द्विवेदी उम्र 51 वर्ष

2. लाल साहब द्विवेदी उम्र 42 वर्ष

3. सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी उम्र 37 वर्ष

4. गौरेन्द्र कुमार द्विवेदी उम्र 35 वर्ष पुत्रगण धर्मदास निवासीगण अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

....निगरानीकर्तागण / द्वितीय पक्ष

बनाम

1. अर्चना केशरवानी पत्नी राकेश कुमार केशरवानी उम्र 45 वर्ष

2. राकेश कुमार केशरवानी पुत्र मुकुन्दीलाल उम्र 47 वर्ष निवासीगण अटल नगर मऊ जनपद चित्रकूट।

3. उत्तर प्रदेश सरकार जरिये जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, चित्रकूट।

.....विपक्षीगण / प्रथम पक्ष

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण / द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट द्वारा वाद संख्या–2899 / 2024 अर्चना केशरवानी आदि बनाम अनूप कुमार आदि अन्तर्गत धारा 145 / 146 दं0प्र0सं0 में पारित निर्णय दिनॉक 13.07.2024 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2. निगरानी से संबंधित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि विपक्षी सं0–1 श्रीमती अर्चना केशरवानी द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 145 / 146 जा0फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी थी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित संपत्ति के संबंध में एस0एच0ओ0 मऊ व तहसीलदार मऊ से आख्या आहूत की गयी जिसके अनुक्रम में लेखपाल आख्या अग्रसारित तहसीलदार मऊ दिनॉकित 12.07.2024 में कथन किया गया है कि प्रार्थिया अर्चना केशरवानी पत्नी राकेश कुमार केशरवानी निवासी अटल नगर मऊ तहसील व थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा दिये गये

प्रार्थनापत्र के संबंध में अभिलेखीय व स्थलीय जॉच की गयी। मौजा अहिरी परगना व तहसील मऊ जनपद चित्रकूट की खतौनी सन् 1425–1430 फ0 के खाता सं0– 18 में अंकित गाटा संख्या7 655 रकबा 0.530 हे0 अनूप कुमार, गौरेन्द्र कुमार व लाल साहब व सत्येनद्र कुमार पुत्रगण धर्मदास निवासी ग्राम व श्रीमती अर्चना केशरवानी निवासी मऊ के नाम सहखातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त गाटे में एक किता पक्का मकान बना हुआ है जो लगभग 15 वर्ष का पुराना है और पश्चिमी किनारे से एक नया मकान का निर्माण हो रहा है। उक्त गाटे की पुरानी गाटा संख्या– 302/1, 294/1, 296 मि0, 295/1, 301 मि0 कुल 5 किता रकबा 0.530 हे0 था जो बाबूलाल पुत्र बद्री प्रसाद निवासी अहिरी तहसील मऊ के नाम दर्ज कागजात है। बाबूलाल पुत्र बद्री प्रसाद ने दिनॉक 09.07.2002 ई0 को प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र शोभालाल मिश्रा निवासी अहिरी के नाम अपने सम्पूर्ण रकबा का 1/10 भाग यानी 0.053 हे0 भूमि विक्रय कर दिया है जिसकी चौहद्दी में भूमि उत्तर की तरफ बेचा यानी सम्पूर्ण चक के बीच में बेचा। उक्त भूमि की नई गाटा सं0– 655 से प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र शोभालाल मिश्रा निवासी अहिरी ने अपने सम्पूर्ण रकबा यानी 0.053 हे0 भूमि दिनॉक 18.10.2012 को श्रीमती अर्चना केशरवानी पत्नी राकेश कुमार निवासी मऊ के नाम रजिस्ट्री करके बेच दिया है जिसकी रजिस्ट्री में 11 पक्के कमरे, 3 बरामदे ऑगन व लैट्रिन बाथरूम आच्छादित हैं जिसकी चौहद्दी उत्तर अनूप कुमार आदि का विक्रय भूमि का जुज भाग व दक्षिण सडक इलाहाबाद बॉदा मार्ग, पूरब विक्रय भूमि का जुज भाग पश्चिम विक्रय भूमि का जुज भाग अनूप कुमार आदि की भूमि है। उक्त भूमि में ग्रामवासियों से पूछतांछ से पता चला कि मकान प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र शोभालाल द्वारा बनाया गया है जो ग्रामवासियों ने मौखिक बताया है लेकिन लिखित में बयान देने के लिए तैयार नहीं है। उक्त विवादित गाटा संख्या से संबंधित वाद सिविल जज, सी0डि0 चित्रकूट के न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी अग्रिम तिथि 16.07.2024 वादीगण द्वारा बतायी गयी है। संलग्न रजिस्ट्री दिनॉक 18.10.2012 से स्पष्ट है कि विवादित मकान अर्चना केशरवानी पत्नी राकेश कुमार केशरवानी का है। सिविल न्यायालय में बैनामा कैंसिलेशन संबंधित वाद नियोजित किया गया है। मौके पर दोनों पक्षों के कब्जे को लेकर विवाद है, मौके पर शांन्ति भंग होने की आशंका है। धारा 145 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।

3. थाना मऊ जनपद चित्रकूट की आख्या दिनॉकित 12.07.2024 में यह कथन

किया गया है कि आराजी सं0– 655 के संबंध में जॉच की गयी तो पाया गया कि उक्त आराजी के बावत न्यायालय सिविल जज, सी0डि0/एफ0टी0सी0 चित्रकूट में सिविल वाद लम्बित है। मौके पर विवादित मकान/स्थान में ताला बन्द है। स्पष्ट नहीं है कि ताला किसके द्वारा बन्द किया गया है। दोनों पक्षों में कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।

4. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनॉक 13.07.2024 को यह आदेश पारित किया गया कि *तहसीलदार मऊ एवं प्रभारी निरीक्षक मऊ की आख्या दिनॉक 12.07.2024 के क्रम में वाद दर्ज हो। पक्षों को नोटिस जारी हो। प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि विवादित मकान/स्थान पर ताला बन्द है। उभयपक्षों को आदेशित किया जाता है कि वाद के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। मकान में कोई भी पक्ष प्रवेश नहीं करेगा और न ही बन्द ताले पर किसी भी प्रकार की छेडछाड करेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि पक्षों पर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये एवं मौके पर कानूनी व शान्ति व्यवस्था बनाये रखें। पत्रावली वास्ते प्रतीक्षा तामीला नोटिस दिनॉक 19.07.2024 को प्रस्तुत हो,* जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी संस्थित की है।

5. निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट मऊ ने विवादित स्थल का स्वयं मौका मुआइना व निरीक्षण नहीं किया है जिसमें बहुत बडी भूल किया है क्योंकि वाद संख्या– 2899/2024 में वर्णित विवादित स्थल में निगरानीकर्ता नं0–2 को उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान संचालित है जिसका बोर्ड भी विवादित स्थल के गेट के बगल में लगा है जहॉ पर निगरानीकर्ता नं0–2 द्वारा राशनकार्ड धारकों को सरकारी सस्ता गल्ला बांटा जाता है तथा राशन बांटने का समय भी आ गया है लेकिन विचारण न्यायालय ने तालाबन्दी व विवादित स्थल पर निगरानीकर्तागण को प्रवेश करने से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉक 13.07.2024 के क्रियान्वयन को रोका जाना आवश्यक है। निगरानीकर्तागण के मौजा अहिरी में उक्त गाटा संख्या– 655 में बने निगरानीकर्ता के मकान के बाहर प्रथम पक्ष ने गुण्डई व दबंगई के बल पर थाना प्रभारी मऊ की सह पर ताला डाल दिया है जिसपर विचारण न्यायालय द्वारा न तो ताला खोलवाया गया और न प्रथम पक्ष के विरूद्ध

कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी जिस कारण निगरानीकर्ता सं0–2 को घोर हकतलफी होगी। निगरानीकर्तागण ने सक्षम न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) चित्रकूट के यहॉ मूलवाद संख्या– 100/2024 मौजा अहिरी अन्तर्गत उक्त विवादित स्थल गाटा संख्या– 655 में निगरानीकर्ता के बने मकान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। इसके पूर्व भी उक्त गाटा संख्या– 655 के परिप्रेक्ष्य में सिविल वाद निगरानीकर्तागण ने प्रस्तुत किया था जिसका मूलवाद संख्या– 93/2022 है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण के सिविल वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद तथा विचारण न्यायालय को उक्त सिविल वाद की जानकारी होने के बावजूद निगरानीकर्तागण के विरूद्ध धारा 145, 146 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा की गयी है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 13.07.2024 कानूनन व वाक्यातन हर हालत में निरस्त किये जाने योग्य है।

6. उक्त निगरानी के विरूद्ध विपक्षीगण अर्चना केशरवानी व राकेश कुमार केशरवानी की ओर से आपत्ति 21ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 13.07.2024 कानूनी रूप से पूर्णतया सही है। निगरानीकर्ता का कथन कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त सरकारी गल्ले की दुकान विवादित स्थल पर संचालित होती है, पूर्णतया गलत है क्योंकि निगरानीकर्तागण ने मूलवाद संख्या 93/2022 अनूप कुमार आदि बनाम प्रदीप कुमार आदि में विवादित भूमि के संबंध में विपक्षी सं0–1 के विरूद्ध दायर किया था जिसमें प्रदीप कुमार मिश्रा भी पक्षकार थे जिसमें बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सी0पी0सी0 दिनांक 08.04.2024 को निरस्त किया गया और मूलवाद संख्या 93/2022 में कहीं भी यह उल्लिखित नहीं किया है कि निगरानीकर्तागण की वहां राशन की दुकान थी। विपक्षी सं0–1 अर्चना केशनवानी ने प्रदीप कुमार मिश्रा से मकान का बैनामा दिनांक 18.10.2012 को लिया है जिसमें कमरे बने हुए हैं जिससे निगरानीकर्तागण को कोई मतलब गरज नहीं है। मौके की शांतिभंग होने की दशा में और अवैध रूप से निगरानीकर्तागण द्वारा हस्तक्षेप करने की दशा में विधिवत साक्ष्य लेते हुए विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त आपत्ति 21ख के विरूद्ध निगरानीकर्तागण की ओर से प्रति आपत्ति 28ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को

लाभ पहुंचाने के आशय से दिनांक 13.07.2024 को एक साथ दो आदेश पारित किया है जिसका विचारण न्यायालय को अधिकार नहीं है, विधि विरूद्ध ढंग से तालाबंदी व मकान में प्रवेश से निषेध का आदेश पारित किया है और उनके अधिकारों में अतिक्रमण कर उनके कब्जा दखल में हस्तक्षेप किया है और बिना साक्ष्य सुनवाई के विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है। यह तथ्य विचारण न्यायालय के संज्ञान व जानकारी में है कि विवादित स्थल पर ग्राम अहिरी की शासकीय सस्ता राशन की दुकान है जो निगरानीकर्ता सं0–2 को क्षति पहुंचाने के आशय से प्रश्नगत आदेश पारित किया है। बैनामा दिनांकित 18.10. 2012 विधि के विपरीत है जिसके निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिव्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2013(3) जे0आई0सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह उल्लिखित किया गया है कि–

> रिवीजन न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नकारात्मक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहां परः–
>
> 1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल विधि के विपरीत है,
>
> 2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है,
>
> 3. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिए गए हैं,
>
> 4. तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा
>
> 5. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्कों के विरूद्ध किया गया है।

10. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–1/प्रथम पक्ष द्वारा फौजदारी निगरानी से संबंधित वाद विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 145, 146 दं0प्र0सं0 विरूद्ध निगरानीकर्तागण, विपक्षी सं0–1/प्रथम पक्ष की विवादित भूमि गाटा संख्या– 655 पर निगरानीकर्तागण/ द्वितीय पक्ष द्वारा

जबरन कब्जा करने से रोके जाने व शॉन्ति व्यवस्था बनाये रखने के आशय से योजित किया गया था जिसके अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित संपत्ति के संबंध में पुलिस थाना मऊ व तहसीलदार मऊ से जॉच करायी गयी और पुलिस थाना मऊ व लेखपाल अग्रसारित तहसीलदार मऊ आख्या दिनांकित 12.07.2024 के क्रम में वाद पंजीकृत करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 13.07.2024 पारित किया गया है।

11. जहॉ तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए प्रश्नगत आदेश कि, *विवादित मकान/स्थान पर ताला बन्द है। उभयपक्षों को आदेशित किया जाता है कि वाद के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। मकान में कोई भी पक्ष प्रवेश नहीं करेगा और न ही बन्द ताले पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा।* का प्रश्न है तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में वर्णित शब्द, भाषा एवं भावना से उक्त आदेश निषेधाज्ञा की श्रेणी के अन्तर्गत पारित किया जाना परिलक्षित होता है। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निषेधाज्ञा के संबंध में आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, वह केवल धारा 145 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए धारा 145 से 147 दं0प्र0सं0 तक दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है न कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षी सं0–1 अर्चना केशरवानी के प्रार्थनापत्र के संबंध में पुलिस थाना मऊ व लेखपाल अग्रसारित तहसीलदार मऊ आख्या दिनांकित 12.07.2024 के आधार पर धारा 145/146 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जो निषेधाज्ञा की श्रेणी के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है वह अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है और किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किए जाने में अनियमितता कारित की है और प्रश्नगत आदेश निहित क्षेत्राधिकार के परे जाकर पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 13.07.2024 अपास्त किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत **दाण्डिक निगरानी सं0–50/2024 अनूप कुमार व अन्य बनाम अर्चना केशरवानी व अन्य** स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–13.07.2024 अपास्त किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायालय को नियमानुसार प्रेषित की जाए।

दिनॉक–22.10.2024

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.1910

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनॉकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनॉक–22.10.2024

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.1910

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2024.10.22 14:11:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court